रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 7, 1973 (चैत्र 17, 1895)
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 7, 1973 (CHAITRA 17, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 2 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 2nd February 1973 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—
—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	513
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	13
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	417
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	761
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालों ...र (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ...र) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा ...गत बनाए और जारी किए ...ए अधिसूचनाएं	1457
... रक्षा मंत्रालय द्वारा ... आदेश ...	
... कार्यालय ...	
भाग III—खंड ... द्वारा जारी की गई ...	
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों ... उनके प्राधिकार से जारी की गई अधि...ाएं	17
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और ...सें शामिल हैं . .	1105
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा ...सें .	59
पूरक संख्या 14—	
31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपो... .	429
10 मार्च, 1973 को समाप्त होने सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आ... .	445

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	417
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	513
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	13
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	417
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories ..	761
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. —Statutory Orders and Notificationsed by the Ministries of the Govern of India (other than the Ministry efence) and by the Central Authoritieer than the Administrations of Unioritories) ..	1457
PART II—SECTION 4.—Statutory and Orders notified by the Ministry efence ..	113
PART III—SECTION 1.—Notificaticsued by the Auditor General, Unionlic Service Commission, Railway Adtration High Courts and the Attached Subordinate Offices of the Governmf India ..	435
PART III—SECTION 2.—Notificat and Notices issued by the Patent O Calcutta ..	12
PART III—SECTION 3.—Notificaticsued by or under the authority of ef Commissioners	1'
PART III—SECTION 4.—Miscellar Notifications including Notifications, rs, Advertisements and Notices issby Statutory Bodies	1007
PART IV—Advertisements and es by Private Individuals and Privatedies ..	59
SUPPLEMENT No 14	
Weekly Epidemiological Repor week ending 31st March, 1973 ..	429
Births and Deaths from Pal diseases in towns with a populatio 30,000 and over in India duriweek ending 10th March 1973	445

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1973

सं० 15-प्रेज/73-शुद्धि-पत्र—शुक्रवार दिनांक 26 जनवरी, 1973 के असाधारण भारतीय राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 8-प्रेज/73 दिनांक 26 जनवरी, 1973 में शुद्धि करने हेतु :—

पद्म विभूषण के अन्तर्गत

वास्ते	"डा० दौलत राम कोठारी, भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।"
पढ़ें	"प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।"

पद्म विभूषण के अन्तर्गत

वास्ते	"डा० ओम पी० बहल, प्रोफेसर जीव-रसायन, वर्फैलो विश्वविद्यालय, न्यूयार्क ।"
पढ़ें	"डा० ओम प्रकाश बहल, प्रोफेसर जीव-रसायन, वर्फैलो विश्वविद्यालय, न्यूयार्क ।"
वास्ते	"डा० राजा मुत्तया अण्णामलै मुत्तया चेट्टियार, उद्योग-पति, तमिल नाडु ।"
पढ़ें	"डा० राजा मुतैय्या अण्णामलै मुतैय्या चेट्टियार, उद्योग-पति, तमिल नाडु ।"
वास्ते	"श्री वीनूमांकड, क्रिकेट खिलाड़ी, महाराष्ट्र ।"
पढ़ें	"श्री विनू हिमतलाल मांकड, क्रिकेट खिलाड़ी, महाराष्ट्र ।"

पद्म श्री के अन्तर्गत

वास्ते	"डा० भोयी भीमण्णा, तेलुगु लेखक, आंध्र प्रदेश ।"
पढ़ें	"डा० वोयि भीमन्न, तेलुगु लेखक, आंध्र प्रदेश ।"
वास्ते	"श्री चेल्लसामी सिर्चवे मुरुगभूपति, मृदंगवादक, तमिल नाडु ।"
पढ़ें	"श्री चेल्लसामि सिरचवे मुरुगभूपति, मृदंगवादक, तमिल नाडु ।"
वास्ते	"श्री चिण्णास्वामी राजन सुब्रमण्यन, प्रबन्ध निदेशक, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, बंगलौर ।"
पढ़ें	"श्री चिण्णास्वामी राजम सुब्रमण्यन, प्रबन्ध निदेशक, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, बंगलौर ।"
वास्ते	"डा० नामसाहेब नौरोजी वजीफदार, समाज सेवी, महाराष्ट्र ।"
पढ़ें	"डा० जमशेद नवरोजी वजीफदार, समाज सेवी, महाराष्ट्र ।"
वास्ते	"डा० कन्दर्प तुलजा शंकर ढोलकिया, अस्थिशल्य चिकित्सक, महाराष्ट्र ।"
पढ़ें	"डा० कन्दर्प तुलजाशंकर ढोलकिया, अस्थिशल्य चिकित्सक, महाराष्ट्र ।"
वास्ते	"श्री कृष्णन राघवचारी, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, पाशन,:: पूना, महाराष्ट्र ।"
पढ़ें	"श्री राघवाचारी कृष्णन मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, पाशन, पूना, महाराष्ट्र ।"
वास्ते	"डा० मडल्ली गोपाल कृष्ण, निदेशक, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान देहरादून, उत्तर प्रदेश ।"
पढ़ें	"डा० मद्दालि गोपाल कृष्ण, निदेशक, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, उत्तर प्रदेश ।"
वास्ते	"डा० नन्दलाल वोरडिया, क्षय विज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर, एम० जी० एम० कालेज इन्दौर, मध्य प्रदेश ।"
पढ़ें	"डा० नन्दलाल लक्ष्मीलाल वोरदिया, क्षय विज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर, एम० जी० एम० कालेज इन्दौर, मध्य प्रदेश ।"
वास्ते	"श्री प्रभाशंकर ओगधभाई सोमपुरा, वास्तुकार, अहमदाबाद, गुजरात ।"
पढ़ें	"श्री प्रभाशंकर ओघडभाई सोमपुरा, वास्तुकार, अहमदाबाद, गुजरात ।"
वास्ते	"डा० रामचन्द्र कृष्णदास मेंडा, परामर्श शल्य चिकित्सक, बम्बई, महाराष्ट्र ।"
पढ़ें	"डा० रामचन्द्र किशिनदास मेंडा, परामर्श शल्य चि-किरसक, बम्बई, महाराष्ट्र ।"
वास्ते	"श्री रामचंद्र विश्वनाथ वाडकर, कुष्ट विज्ञानी, पूना, महाराष्ट्र ।"
पढ़ें	"डा० रामचन्द्र विश्वनाथ वारदेकर, कुष्ट विज्ञानी पूना, महाराष्ट्र ।"

वास्ते "कुमारी रोहिणी पूर्वेया, भूतपूर्व प्रिंसिपल, क्रासवेट कालेज, इलाहाबाद ।"

पढ़े "कुमारी कोदंड रोहिणी पूर्वेया, भूतपूर्व प्रिंसिपल, क्रासवेट कालेज, इलाहाबाद ।"

वास्ते "श्री सलाम मछलीशैरी, उर्दू कवि, दिल्ली ।"

पढ़े "श्री सलाम मछली शहरी, उर्दू कवि, दिल्ली ।"

वास्ते "श्रीमती सुलोचना मोदी, समाज सेविका, महाराष्ट्र ।"

पढ़े "श्रीमती सुलोचना मोहनलाल मोदी, समाज सेविका, महाराष्ट्र ।"

वास्ते "श्री थिक्कुरुसी सुकुमारन नायर, फिल्म कलाकार, त्रिवेंद्रम, केरल ।"

पढ़े "श्री थिक्कुरिसी सुकुमारन नायर, फिल्म कलाकार, त्रिवेंद्रम, केरल ।"

2. उपर्युक्त अधिसूचना के हिन्दी रूपान्तर में निम्नलिखित शुद्धियां कर ली जाएं ।

पद्म विभूषण के अन्तर्गत

वास्ते "श्रीमती नेली सेनगुप्ता, स्वतंत्रता सैनानी, कलकत्ता ।"

पढ़ें "श्रीमती नेली सेन-गप्त, स्वतंत्रता सेनानी, कलकत्ता ।"

पद्म भूषण के अन्तर्गत

वास्ते "श्रीमती गोसस्प मानकजी सोरावजी कैप्टेन, स्वतंत्रता संनानी, बम्बई ।"

पढ़ें "श्रीमती गोसस्प माणेकजी सोरावजी कैप्टन, स्वतंत्रता संनानी, बम्बई ।"

वास्ते "श्री नारायण दास रतनमल मलकानी, समाज सेवी, गुजरात ।"

पढ़ें "श्री नारायण दास रतनमल मलकाणी, समाज सेवी, गुजरात ।"

पद्म श्री के अन्तर्गत

वास्ते "श्री फतह चंद गेरा, भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, फार्म्स कार्पोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली ।"

पढ़ें "श्री फतेह चन्द गेरा, भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, फार्म्स कार्पोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली ।"

वास्ते "डा० जगदीश मित्र पहवा, प्रोफेसर, नेहरू नेत्र विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर, उत्तर प्रदेश ।"

पढ़ें "डा० जगदीश मित्र पाहवा, प्रोफेसर, नेहरू नेत्र विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर, उत्तर प्रदेश ।"

वास्ते "डा० मदमपथ कलत्तिल कृष्ण मैनन, स्त्री रोग वैज्ञानिक, तमिल नाडु ।"

पढ़ें "डा० माडमपत कलत्तिल कृष्ण मैनन, स्त्री रोग वैज्ञानिक, तमिल नाडु ।"

वास्ते "डा० नैदुमनगद्दू केशव पणिक्कर, निदेशक, राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान, पणजी, गोवा ।"

पढ़ें "डा० नेदुमंगतु केशव पणिक्कर, निदेशक, राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान, पणजी, गोवा ।"

वास्ते "श्री पदिजरायनक्षम नारायणन नायर भास्करन नायर, संयुक्त निदेशक, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।"

पढ़ें "श्री पडींजारैमडम नारायणन् नायर भास्करन नायर, संयुक्त निदेशक, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।"

वास्ते "श्री पणिमंगलोर अप्पराय भट्ट, प्रबन्ध निदेशक, एशियन इलैक्ट्रोनिक्स लि० बम्बई ।"

पढ़ें "श्री पानीमंगलूर अप्रय भट, प्रबन्ध निदेशक, एशियन इलैक्ट्रोनिक्स लि०, बम्बई ।"

वास्ते "श्री शंकर रामचंद्र पणहाले, लोकोपकारक, पूना, महाराष्ट्र ।"

पढ़ें "श्री शंकर रामचन्द्र पन्हाले, लोकोपकारक, पूना, महाराष्ट्र ।"

दिनांक 24 मार्च 1973

सं० 17-प्रेज/73—**शुद्धि-पत्र**—मंगलवार दिनांक 15 अगस्त, 1972 के असाधारण भारतीय राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 97-प्रेज/72, दिनांक 15 अगस्त, 1972 में शुद्धि करने हेतु :—

संस्कृत के अन्तर्गत

वास्ते "श्री गुन्देराव करकरे"

पढ़ें "गुंडे राव हरकारे"

वास्ते "वराहूत शंकरशिवकुलम् वैद्यनाथ अय्यर गुरुस्वामी शास्त्री"

पढ़ें "श्री वराहूर शंकरशिवकुलम् वैद्यनाथ्यर गुरुस्वामी शास्त्री"

अरबी के अन्तर्गत

वास्ते "श्री इम्तियाज अली अरशी"

पढ़ें "श्री इम्तियाज अली खां अर्शी"

फारसी के अन्तर्गत

वास्ते "डा० एम० ए० एच० आबिदी"

पढ़ें "डा० सैयद अमीर हसन आबिदी"

दिनांक 29 मार्च 1973

सं० 18-प्रेज/73—**शुद्धि-पत्र**—दिनांक 13 फरवरी 1971 के भारतीय राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की दिनांक 2 फरवरी, 1971 की अधिसूचना सं० 11-प्रेज 71 पृष्ठ 160 पर पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाय :—

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 अक्तूबर 1969 से दिया जायेगा ।

दिनांक 30 मार्च 1973

सं० 19-प्रेज/73—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम किशुन राय,
कांस्टेबल सं० 139,
जिला बलिया,
उत्तर प्रदेश ।

(स्वर्गीय)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

11 जून, 1971 को शाम के लगभग 5 बजकर 30 मिनट पर श्री राम किशुन राय अपने गांव नागसर को लौटते हुए स्टीमर घाट, गाजीपुर से नौका में बैठकर गंगा नदी को पार कर रहे थे । नदी में बाढ़ आई हुई थी और पानी का बहाव तेज था । मल्लाह उग्र स्थिति में नाव पर नियंत्रण नहीं पा सके और नाव जब नदी के दूसरे किनारे से लगभग केवल 200 गज की दूरी पर थी तो पानी उसके अन्दर आने लगा । दोनों मल्लाह अपनी जान बचाने के लिये नाव से कूद गये । नाव उलट गई और यात्री डूबने लगे । श्री राम किशुन राय डूबते हुए यात्रियों को बचाने के लिये नदी में कूद पड़े । अपनी सुरक्षा और इसके साथ ही इस बात की परवाह न करते हुए कि उनका पुत्र भी उसी नाव में यात्रा कर रहा है और डूब रहा है, उन्होंने पांच अन्य व्यक्तियों को बचाया और एक एक करके उनको नदी के किनार पर ले आये । उसके बाद वे अपने पुत्र को बचाने के लिये गये किन्तु तब तक श्री राम किशुन राय बिलकुल थक चुके थे और वे तेज पानी के बहाव का सामना नहीं कर सके । वह अपने पुत्र को नहीं बचा सके और स्वयं भी डूब गये ।

श्री राम किशुन राय ने उत्कृष्ट वीरता तथा साहस का परिचय दिया और उन्होंने अपने तथा अपने पुत्र के प्राणों की परवाह न करते हुए पांच व्यक्तियों की जानें बचाईं ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृति भत्ता भी दिनांक 11 जून 1971 से दिया जाएगा ।

सं० 20-प्रेज/73—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अमरीक सिंह,
हैड कांस्टेबल,
57वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

(स्वर्गीय)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

श्री अमरीक सिंह को पूसा वाह्य सीमा चौकी पर तैनात प्लाटून के सैक्शन कमाण्डर के रूप में नियुक्त किया गया था । 3/4 दिसम्बर, 1971 की रात्रि को पाकिस्तानियों ने पूसा वाह्य चौकी पर अचानक आक्रमण किया । आक्रमण रात्रि को 8 बजकर 50 मिनट पर किया गया । उसके तुरन्त बाद पाकिस्तानी टैंकों का भी वाह्य सीमा चौकी के समीप जमाव हो गया और उसके तुरन्त बाद पैदल सेना ने आक्रमण कर दिया । इस अचानक आक्रमण के कारण प्लाटून को चौकी से हटाने तथा पहले से चुने हुए स्थान पर एकत्र करने का निश्चय किया गया । पिछले मोर्चे की ओर नियोजित रूप से पीछे हटने के बारे में श्री अमरीक सिंह ने अनुभव किया कि पाकिस्तानी सेना वाह्य सीमा चौकी की ओर इस तेजी से बढ़ रही है कि उनके जवानों के लिए उस निश्चित स्थान तक पहुंच पाना कठिन होगा । उन्होंने स्वयं लाईट मशीन गन सम्भाली और अपनी टुकड़ी को पीछे हटने का आदेश दिया । उन्होंने आक्रमणकारी शत्रु सेना को तब तक दूर रखा जब तक कि उनके जवान वाह्य सीमा चौकी से पीछे नहीं निकल गये । उस समय तक शत्रु सेना दायीं व बायीं ओर से वाह्य सीमा चौकी के और समीप आने लगी । इसी समय श्री अमरीक सिंह ने चौकी छोड़ने का निश्चय किया किन्तु जैसे ही वे खाई से बाहर निकले तो स्वचालित गोलीबारी की एक बौछार लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गये । जब एक नायक ने श्री अमरीक सिंह को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहा तो श्री अमरीक सिंह ने सहायता लेने से मना कर दिया और उन्होंने नायक को आदेश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि टुकड़ी पिछले मोर्चे पर सुरक्षित वापस पहुंच जाये । ऐसा कहने के बाद उनके प्राणान्त हो गये ।

पूसा वाह्य चौकी पर शत्रु की कार्यवाही में श्री अमरीक सिंह ने उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया और अपनी प्लाटून को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने हेतु अपने जीवन का बलिदान कर दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा ।

सं० 21-प्रेज/73—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पद सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कंवर पाल,
कांस्टेबल सं० 47407,
40 वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

2 दिसम्बर 1971 को स्टेट बैंक के खजाने को जो दुर्गापुर मुख्य कार्यालय से माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन में उसकी शाखा को, दो सशस्त्र रक्षकों के संरक्षण में तीन बैंक कर्मचारियों द्वारा एक स्टेशन वेगन में ले जाया जा रहा था, लगभग 12.45 बज दामोदर घाटी निगम के समीप जी० टी० रोड के चौराह पर उसे रोक लिया गया । स्टेशन वैगन को एक काली ऐम्बेसडर कार ने रोका जिसमें कुछ बदमाश थे । उन्होंने स्टेशन वैगन पर बम फेंके और पिस्तोल दिखाकर 4 लाख रुपयों पर कब्जा कर दिया । उन्होंने रक्षकों में से एक से 12 बोर की एक बन्दूक छीन ली और उसी ऐम्बेसडर कार में भाग गये । भागते समय कार का एक पहिया नाली में फंस गया और कार रूक गई । डाकू 12 बोर की बन्दूक को फेंक कर और कार को वहीं छोड़ कर फूलझोर की ओर पैदल भाग गये । भागते हुए डाकू श्री कंवर पाल के निकट आ गये जिन्हें वहां पर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की भूमि के संरक्षण के लिए नियुक्त किया गया था । एक डाकू ने श्री कंवर पाल पर अपना रिवाल्वर ताना किन्तु इससे पहले कि डाकू अपनी रिवाल्वर चला सके श्री कंवर पाल ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करत हुए उसे आत्मसमर्पण करने को बाध्य कर दिया । अन्य दो डाकुओं को भी पुलिस दल ने गिरफ्तार कर लिया । उस स्थान से 320000 रुपये की राशि भी बराबद की गई । इस बीच बैंक अधिकारी और सिविल पुलिस के सदस्य भी वहां पहुंच गय और तलाशी पर 23000 रुपये तथा कुछ गोलाबारूद बरामद किया गया ।

श्री कंवर पाल ने निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए इन पक्के अपराधियों का पीछा करने में साहस, सूझबूझ तथा उत्कृट वीरता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा ।

सं० 22-प्रेज/73—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री तूही राम,
कांस्टेबल सं० 68020042
10वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

श्री तूही राम केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 10वीं बटालियन में थे, जिसे मणिपुर राज्य के तामेन्गलोंग जिले में तैनात किया गया था । 27 अक्टूबर, 1971 को सूचना मिली कि विरोधियों का एक गिरोह केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के बटालियन मुख्यालय से लगभग 23 मील दूरी पर थारन गांव के समीप घने जंगल में डेरा डाले हुए है । विरोधियों के शिविर पर छापा मारने तथा उन्हें पकड़ने के लिए एक गश्ती दल नियुक्त किया गया । श्री तूही राम गश्ती दल के साथ गये । रात भर चलने के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे और विरोधियों के शिविर का पता लगाया किन्तु विरोधी उस स्थान से जा चुके थे । गश्ती दल ने शिविर को नष्ट कर दिया और विरोधियों की तलाश शुरू की । गश्ती दल जब लगभग एक किलोमीटर बढ़ चुका था तो विरोधियों ने दल की अग्रिम टुकड़ी पर गोली चलाई । सहायक कामण्डेन्ट को गोली लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए । निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री तूही राम भारी गोलीबारी की अपेक्षा करते हुए तुरन्त सहायक कमांडेन्ट की ओर बढ़े और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आये । ऐसा करते हुए श्री तूही राम की छाती में बाई ओर तथा बायें हाथ में गोली लगी जिससे वे गम्भीर रूप से घायल भी हो गये ।

श्री तूही राम की वीरतापूर्ण कार्यवाही के कारण ही सहायक कमांडेन्ट की जान बच सकी और विरोधियों को पीछे हटने पर बाध्य कर दिया गया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृति भत्ता भी दिनांक 27 अक्तूबर 1971 से दिया जाएगा ।

सं० 23-प्रेज/73—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री रेवत सिंह,
जमादार,
11वीं बटायलियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

12/13 जनवरी, 1972 की रात्रि को मणिपुर में रेजेन्हेमा गांव के समीप विरोधियों की गतिविधियों को रोकने के लिये श्री रेवत सिंह एक गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे । 13 जनवरी की प्रातः श्री रेवत सिंह को कुछ संदेह हुआ कि जहां उन्होंने अपने जवान तैनात कर रखे थे वहां से दूर एक स्थान पर विरोधियों का संचलन हो रहा है । श्री रेवत सिंह एक महत्वपूर्ण पहाड़ी पर गये और वहां घात

लगा कर प्रतीक्षा करने लगे। रेजेन्हेमा गांव की ओर जाते हुए विरोधियों के एक गिरोह को, जो पूरी तरह हथियार बन्द था, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के जवानों का उपस्थिति के बारे में सूचना मिल गई थी। सूचना मिलने पर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के गश्ती दल को घेरने के उद्देश्य से विरोधी छोटे छोटे दलों में बंट गये। उनकी एक टुकड़ी ने आगे बढ़कर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के कमाण्डर को चुनौती दी। श्री रेवत सिंह जो प्रेक्षक व्यक्ति के समीप थे, अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने मोर्चे से बाहर कूद पड़े और विरोधियों की टुकड़ी पर गोलाबारी कर दी। विरोधियों ने भी स्वचालित हथियारों से जवाब में गोली चलाई। यद्यिपि गश्ती दल संख्या में अपेक्षाकृत बहुत कम था, फिर भी रेवत सिंह ने क्षेत्रीय हथियारों और वैयक्तिक हथियारों का प्रयोग करके विरोधियों के मानोबल को नष्ट कर दिया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। वे बहुत से हथियार, गोला बारूद और खाने पीने का सामान तथा जरूरी दस्तावेज छोड़ कर भाग निकले।

इस मुठभेड़ में श्री रेवत सिंह ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया और विरोधियों को भारी क्षति पहुंचाई।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 जनवरी, 1972 से दिया जाएगा।

सं० 24-प्रेज/73—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सुखचरण सिंह,
हैड कांस्टेबल,
27वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल।
श्री हर नारायण,
लान्स नायक,
27वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

12 दिसम्बर, 1971 को मुलकोट बाह्य सीमा चौकी पर जो उस समय पाकिस्तानी सेना के कब्जे में थी पुनः कब्जा करने के लिए एक धावा बोला गया। बाह्य सीमा चौकी के चारों ओर समतल भूमि होने के कारण सीमा सुरक्षा दल की टुकड़ी बाह्य चौकी के पास पहुंचने के लिए लगभग 800 गज की दूरी तक रेंग कर गई। फिर भी, शत्रु सतर्क हो गया और उसने स्वाचालित हथियारों और मोर्टरों से गोलियां चलाई और टुकड़ी को दबा दिया। श्री सुखचरण सिंह और श्री हर नारायण आगे बढ़े और शत्रु की खन्दकों में, जहां से गोलाबारी हो रही थी, हथगोले फेंके और निजी हथियारों से शत्रु को हताहत किया। इससे सारा दल और निकट पहुंच सका तथा शत्रु को जान और माल की भारी हानि पहुंचाने में समर्थ हुआ। जब श्री सुखचरण सिंह और श्री हर नारायण वापस लौटने ही वाले थे तो श्री सुखचरण सिंह के पैर में गोली लगी। दल का नेता भी बुरी तरह घायल हो चुका था और पिकेट में गिर गया। श्री सुखचरण सिंह अपने घाव से बहते हुए खून की परवाह न करते हुए तथा शत्रु की भारी गोलाबारी से अविचलित दल के नेता की सहायता करने के लिए आगे बढ़े। इसके साथ श्री हर नारायण भी घायल अधिकारी को उठाने आगे बढ़े। जब श्री हर नारायण घायल अधिकारी को अपनी पीठ पर ले जा रहे थे तो श्री सुखचरण सिंह शत्रु की ओर से हर प्रकार की कार्यवाही का सामना करने के लिए सजग रहे।

श्री सुखचरण सिंह और श्री हर नारायण ने शत्रु द्वारा पीछा किये जाने की कार्यवाही की परवाह न करते हुए धावा बोलने वाले दल की सहायता करने तथा दल के घायल नेता को सुरक्षित स्थान पर लाने में अनुकरणीय साहस का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 25-प्रेज/73—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सूबे सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
संगरूर,
पंजाब।

श्री जसवन्त सिंह बरार,
पुलिस उप अधीक्षक,
बरनाला,
पंजाब।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

27 जनवरी, 1972 को श्री सूबे सिंह को सूचना मिली कि कुछ कुख्यात उग्र वादियों द्वारा जघन्य अपराध करने के लिए रायसर भक्तगढ़ कच्चा रास्ते से मोर-सेना शाखा नदी का पुल पार करके पाखों जाने की सम्भावना है। श्री सूबे सिंह तुरन्त अपने जवानों के साथ बरनाला को चल दिये। श्री जसवन्त सिंह बरार ने शाखा नदी पुल के पास पहले से ही नाकाबन्दी कर रखी थी। पुल के पास पहुंच कर श्री सूबे सिंह ने और नाकाबन्दी की। श्री जसवन्त सिंह बरार और अन्य व्यक्तियों ने पुल की पार्श्व दीवारों और नहर के किनारों की आड़ लेकर भक्तगढ़ की ओर से पुल के सामरिक महत्व के रास्तों पर घात लगाई। नाकाबन्दी दल अत्यधिक ठंड वाली रात्रि में प्रातः 3 बजे तक सतर्क रहा जबकि चार सशस्त्र अपराधी रायसर की ओर से किनारे की परिसीमा की ओर आते दिखाई पड़े। ललकारे जाने पर अपराधियों ने पुलिस दल पर गोली चला दी। यद्यपि पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी फिर भी अपराधियों ने गोली चलाना बन्द नहीं किया। अपराधियों द्वारा चलाई गई गोलियां श्री सूबे सिंह और श्री जसवन्त सिंह बरार के अत्यन्त निकट से निकली किन्तु वे अविचलित रहे और अपराधियों की ओर बढ़ते रहे। श्री जसवन्त सिंह बरार अपराधियों की ओर रेंगते हुए आगे बढ़े और उन्होंने अपनी रिवाल्वर से उन पर गोलियां चलाईं। डेढ़-घंटे की मुठभेड़ के बाद अपराधियों की ओर से गोलियां चलनी बन्द हो गईं। आगे बढ़ने पर पुलिस को तीन अपराधियों के शव बरामद हुए। चौथा अपराधी ढलान तथा गड्ढों की आड़ में बचकर भाग गया।

इस मुठभेड़ में श्री सूबे सिंह और श्री जसवन्त सिंह बरार ने उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया तथा अपने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराधियों का सामना किया और तीन अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप श्री जसवन्त सिंह बरार को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 जनवरी, 1972 से दिया जाएगा।

सं० 26-प्रेज/73—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री रघुनन्दन शर्मा,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री प्रेम नारायण शुक्ल,
कम्पनी कमाण्डर,
24वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

यह सूचना प्राप्त होने पर कि डाकू फूला का गिरोह जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों के सीमान्त स्थान पर स्थित होलपुड़ा के समीप उपस्थित है, 28 अप्रैल, 1971 को कम्पनी कमाण्डरों के अधीन दो पुलिस दल उस क्षेत्र को भेजे गये। इन पुलिस दलों में से एक का नेतृत्व श्री प्रेम नारायण शुक्ल द्वारा किया गया था। डाकू को एक गांव में शरण लेने को बाध्य करने के बाद एक पुलिस दल लौट आया। 30 अप्रैल, 1971 को सांय श्री प्रेम नारायण शुक्ल के नेतृत्व वाले पुलिस दल को सूचना मिली कि डाकुओं के गिरोह का मुखिया नया बांस गांव में एक मकान में सो रहा है। सूचना प्राप्त होने पर श्री रघुनन्दन शर्मा सहित 8 व्यक्तियों का पुलिस दल घटना-स्थल पर तुरन्त पहुंचा और नया बांस गांव में डाकू के छिपने के स्थान को घेर लिया। श्री शुक्ल श्री रघुनन्दन शर्मा के साथ मकान में घुसे। जब श्री रघुनन्दन शर्मा उस चारपाई की ओर जा रहे थे, जिस पर डाकुओं का नेता सो रहा था, तो वह जाग गया। निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री रघुनन्दन शर्मा डाकू को वश में करने के लिए उस पर टूट पड़े। श्री शुक्ल ने श्री शर्मा की सहायता की और उसे पकड़े रखा। डाकुओं के नेता के साथ हाथापाई में श्री शर्मा ने उस की राइफल की नाली को ऊपर की ओर किये रखा जिसके परिणामस्वरूप डाकू द्वारा गोलियां चलाई जाने पर भी किसी पुलिस अधिकारी को नहीं लग सकीं। अन्य पुलिस अधिकारियों की सहायता से डाकुओं के नेता को गोली से मार दिया गया।

इस मुठभेड़ में श्री रघुनन्दन शर्मा और श्री प्रेम नारायण शुक्ल ने उत्कृष्ट साहस तथा वीरता का परिचय दिया और डाकुओं के नेता को मौत के घाट उतार दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 अप्रैल, 1971 से दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 अप्रैल 1973

सं० 10/4/73-के० से०-II—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के ग्रेड 6 के अवर श्रेणी ग्रेड में नियमित रूप से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आरक्षित अस्थायी रिक्त स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने दिए जाएंगे वे निम्नलिखित सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड के रिक्त स्थानों के लिए प्रतियोगिता करने के पात्र समझे जाएंगे :—

(1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, यदि वे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं,

(2) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा, यदि वे सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्त: सेवा संगठनों में नियुक्त हैं, और

(3) भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड 6, यदि वे विदेश मंत्रालय या विदेशों में इसकी मिशनों में नियुक्त हैं।

2. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने के लिए रिक्त स्थानों की संख्या मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली सूचना में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण भारत सरकार द्वारा निश्चित किए जाने के अनुसार किए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों का अर्थ, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों (संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू तथा कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959 संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडि-चेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 के साथ पठित अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से कोई सी जाति है।

3. इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा परीक्षा ली जाएगी।

4. दिल्ली और विदेशों में भारतीय निर्धारित मिशनों में किस तारीख और किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसको सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान नियत करेगा।

5. कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में बैठने का पात्र होगा जिसके संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :—

1. सेवा अवधि

उसने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अथवा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय और/अथवा अत: सेवा संगठनों अथवा विदेश मंत्रालय अथवा विदेशों में इसकी मिशनों में किसी उच्च ग्रेड में 1 जनवरी, 1973 को कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा की हो।

टिप्पणी 1 :—5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा की सीमा तब भी लागू होगी यदि उम्मीदवार की कुल गिनती की जाने वाली सेवा आंशिक रूप में किसी मंत्रालय अथवा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी कार्यालय में अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में और आंशिक रूप में अन्यत्र उसके समकक्ष या उच्च ग्रेड में या विदेश मंत्रालय में और विदेशों में इसके मिशनों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में हो।

टिप्पणी 2 :—जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों में प्रतिनियुक्ति पर हैं वे अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्गबाह्य पद पर नियुक्त किया गया है अथवा स्थानान्तरण पर अन्य सेवा में है और फिलहाल चतुर्थ श्रेणी के पद पर उसका ग्रहणाधिकार बना हुआ है वह भी अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने का पात्र है।

2. आयु

वह 1 जनवरी, 1973 को 45 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात् 2 जनवरी, 1928 से पहले उसका जन्म न हुआ हो।

यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है तो उपर्युक्त निर्धारित आयु-सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु-सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

3. **शैक्षिक अर्हता** :

उम्मीदवार ने निम्नलिखित परीक्षाओं में से एक परीक्षा पास की हो या निम्नलिखित प्रमाण पत्रों में से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो :—

(1) भारत के केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्व-विद्यालय की मैट्रिक परीक्षा,

(2) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में स्कूल लीविंग, माध्यमिक स्कूल हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण पत्र के दिए जाने के लिए ली गई कोई परीक्षा जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण पत्र के समकक्ष मानती हो।

(3) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (सीनियर कैम्ब्रिज),

(4) राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा,

(5) दिल्ली पोलीटैक्नीक के तकनीकी हायर सेकेण्डरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र,

(6) भारत में किसी मान्यता प्राप्त हायर सेकेण्डरी स्कूल मल्टीपरपज स्कूल द्वारा हायर सेकेण्डरी पाठ्यक्रम/मल्टीपरपज पाठ्यक्रम (जो किसी उम्मीदवार को 3 वर्ष के डिग्री कोर्स के लिए प्रवेश पाने के योग्य बनाती हो) के उपान्तिम वर्ष में ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण,

(7) इंडियन स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाली किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र,

(8) अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र,

(9) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिए,

(10) बंगाल (साइंस) स्कूल सार्टीफिकेट,

(11) नेशनल काउन्सिल आफ ऐजूकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्) जादवपुर, पश्चिमी बंगाल की (शुरू से लेकर) फाइनल स्कूल स्टैन्डर्ड परीक्षा,

(12) गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की विनीत परीक्षा,

(13) पांडिचेरी के नीचे लिखी फ्रेंच परीक्षाएं:—

(1) ब्रीवेटए लिमिन्ट्यर, (2) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमियर द लांग एंदियन, (3) ब्रीवे द एल्यूद टू यू प्रीमियेर सिवल, (4) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमियेर सुपीरयेर द लांग इंदियेन और (5) ब्रीवे द लांग इंदियेन (वर्नाक्यूलर),

(14) गोवा, दमन और दीव की पुर्तगाली परीक्षा लाहसिमूम के पांचवें वर्ष में पास,

(15) इंडियन आर्मी स्पेशल सार्टिफिकेट आफ एजुकेशन,

(16) भारतीय नौसेना का हायर एजूकेशन टैस्ट,

(17) एडवांस क्लास (भारतीय नौ सेना) परीक्षा,

(18) सीलोन सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा,

(19) पूर्वी बंगाल उच्चतर शिक्षा बोर्ड, ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र,

(20) पूर्वी पाकिस्तान स्थित कौमीला, राजशाही, खुलना, जैस्सोर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए माध्यमिक स्कूल के प्रमाण पत्र,

(21) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट परीक्षा,

(22) एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट परीक्षा (वर्मा),

(23) बर्मा हाई स्कूल फाइनल परीक्षा प्रमाण पत्र,

(24) शिक्षा विभाग, वर्मा की एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल परीक्षा (युद्ध पूर्व),

(25) वर्मा का पोस्ट-वार स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट,

(26) साधारण स्तर पर लंका की जनरल सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन नामक परीक्षा यदि वह अंग्रेजी तथा गणित और सिंहली या तमिल सहित छह विषयों में पास की गई हो,

(27) साधारण स्तर पर लंदन के एसोसिएटेड एक्जामिनेशन बोर्डस की जनरल सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो,

(28) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर/सेकेण्डरी तकनीकी स्कूल परीक्षा,

(29) पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) या पुरानी खण्ड मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का पाठ्यक्रम) तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के अन्य विषयों में से एक विषय अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशिष्ट परीक्षा।

(30) गोवा, दमन तथा दीव की स्वतंत्रता से पूर्व पोर्टगीज संगठन के अधीन पानीजी स्थित एस्कोला इण्डस्ट्रियल कमीशिचल डी गोवा द्वारा दिए गए/कार्टाडी कुर्सी डी फार्माकाओ डी सेरालहीरो (लोहारखाना पाठ्यक्रम का सार्टिफिकेट) तथा कार्टाडी कुर्सी डी मोण्टाडोर इलेक्ट्रिसिस्टा (इलेक्ट्रिशन कोर्स का सार्टिफिकेट),

(31) राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज डिप्लोमा परीक्षा,

(32) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित 'माध्यमा' परीक्षा,

(33) कारपोरल के रैंक में पदोन्नति के लिए शिक्षा निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा ली जाने वाली भारतीय वायुसेना शैक्षिक परीक्षा,

(34) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ली गई विज्ञान अईक विज्ञान परीक्षा, 1965।

टिप्पणी 1—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा दे चुका हो जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठे सकना है, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है, जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहते हों, वे भी आवेदन पत्र दे सकते हैं बशर्ते कि यह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाए। अन्यशर्तें पूरी होने पर ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की यह अन्तिम मानी जाएगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण यथा शीघ्र और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो वह अनुमति रद्द कर दी जा सकेगी।

टिप्पणी 2—कुछ आपवादिक मामलों में केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे उम्मीदवार को अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है जिसके पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है, बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है, जो उस सरकार की राय में परीक्षा में बैठने के लिए उचित है।

6. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

7. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास संस्थान का प्रवेश पत्र न हो।

8. यदि कोई उम्मीदवार संस्थान द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाए या किया गया हो कि उसने दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रलेख अथवा ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें कि हेरा-फेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई है या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है अथवा परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों को प्रयोग किया है या प्रयोग करने की कोशिश की है या परीक्षा भवनमें या इस के अहाते में कोई दुर्व्यवहार किया है या संस्थान द्वारा अथवा सुपरवाइजर/निरीक्षक द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) के चलाये जाने के अतिरिक्त :—

(क) संस्थान उसे उम्मीदवारों के चुनाव के लिए संस्थान द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता है, और

(ख) उपयुक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है?

9. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

10. परीक्षा के बाद संस्थान अन्तिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से तीन अलग-अलग सूचियां बनाएगा, और उसी क्रम से परीक्षा के परिणामों के आधार पर क्रमशः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड 6 में भरे जाने के लिए निश्चित अनारक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार जितने उम्मीदवार परीक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त होंगे, उनकी नियुक्ति के लिए संस्थान सिफारिश करेगा। लेकिन शर्त यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित जितनी रिक्तियां सामान्य स्तर के आधार पर नहीं भरी जा सकती आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए उतनी रिक्तियों तक के लिए सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा एक रियायती स्तर से किसी भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की, यदि वे उम्मीदवार सेवा में चुने जाने के लिए उपयुक्त हों, परीक्षा में योग्यता क्रम में उनकी स्थिति का विचार करते हुए, सिफारिश की जा सकेगी।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है, अर्हक परीक्षा नहीं। परीक्षा के परिणाम के आधार पर निम्न श्रेणी ग्रेड के लिए प्रवर सूची में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए इस परीक्षा में निष्पादन के आधार पर निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकार के रूप में कोई उम्मीदवार दावा नहीं कर सकेगा।

11. हर एक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय संस्थान अपने विवेकानुसार करेगा और संस्थान परिणामों के संबंध में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

12. जब तक आवश्यक जांच के बाद सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

13. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिन के बारे में नियुक्ति संबंध में विचार किए जाने की सम्भावना हो।

टिप्पणी:—विकलांग भूतपूर्व रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड द्वारा दिया गया स्वास्थता प्रमाण पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

(14.) इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार ने सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली गई अंग्रेजी या हिन्दी का कोई आवधिक टंकण परीक्षा पहले ही पास न की हो तो वह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संचालित अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से ऐसी परीक्षा पास करेगा, ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि (वृद्धियां) नहीं दी जायगी । यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि में उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसे अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में नियुक्त करने से पूर्व मूल नियुक्ति पर अथवा अस्थायी पद पर लौटा दिया जाएगा ।

टिप्पणी-1:—परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति जिस उम्मीदवार ने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास कर ली हो उसे पहली वेतन-वृद्धि एक वर्ष के बजाय छः महीने के बाद दी जायगी, परन्तु इसे बाद में नियमित वेतन-वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जाएगा ।

टिप्पणी-2:—टिप्पणी 1 में उल्लिखित रियायत के अतिरिक्त दो अग्रिम वेतन वृद्धियां, जो अगली वेतन-वृद्धियों में समाविष्ट कर ली जाएंगी, उसे दी जायगी जो नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर अंग्रेजी में 40 शब्द अथवा हिन्दी में 35 शब्द प्रतिमिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करेगा ।

15. यदि कोई उम्मीदवार, परीक्षा में प्रवेश-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपने चतुर्थ श्रेणी पद की नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा या सेवाएं छोड़ देता है अथवा उससे संबंध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा वह संवर्ग-बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर नियुक्त किया जाता है और चतुर्थ श्रेणी पद पर उसका पुनर्ग्रहण-अधिकार नहीं रहता है, तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति होने का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह बात उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है ।

परिशिष्ट

1. परीक्षा के विषय, समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित अनुसार होंगे :—

पत्र संख्या	विषय	अधिकतम अंक		दिया गया समय
I.	सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबन्ध			
	(क) लघु निबन्ध .	100	200	3 घंटे
	(ख) सामान्य अंग्रेजी	100		
II.	सामान्य ज्ञान . (भारतीय भूगोल सहित)	100		2 घंटे

2. परीक्षा का पाठ्य विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची में बतलाए गए अनुसार होगा ।

3. उम्मीदवार को प्रश्न-पत्र (I) का विषय (क) अथवा प्रश्न-पत्र (II) अथवा दोनों का उत्तर अपनी इच्छानुसार हिन्दी (देवनागरी लिपि) अथवा अंग्रेजी में लिखने का विकल्प होगा । सभी उम्मीदवारों की प्रश्न पत्र (I) के विषय (ख) का उत्तर केवल अंग्रेजी में देना चाहिए ।

टिप्पणी-1:—प्रश्न-पत्र (II) का विकल्प पूर्ण प्रश्न-पत्र के लिए होगा न कि उसमें विभिन्न प्रश्नों के लिए ।

टिप्पणी-2:—जो उम्मीदवार उक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में लिखने के इच्छुक हों उन्हें आवेदन पत्र के कालम 15 में स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा बतानी चाहिए । अन्यथा यह अनुमान कर लिया जाएगा कि वे अंग्रेजी में उत्तर लिखेंगे ।

टिप्पणी 3:—एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा और विकल्प में परिवर्तन के लिए प्रार्थना पर साधारणतया कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

टिप्पणी 4:—उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के सिवा किसी अन्य भाषा में उत्तर देने पर कोई अंक नहीं दिये जाएंगे ।

टिप्पणी 5:—(I) लघु निबन्ध तथा (II) सामान्य ज्ञान, भारत का भूगोल सहित के प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिये जाएंगे ।

4. उम्मीदवार को उत्तर अपने हाथ से लिखना चाहिए । उन्हें किसी भी परिस्थिति में उत्तर लिखने के लिये किसी की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी विषय अथवा सभी विषयों के पास होने के अंक निर्धारित करेगा ।

6. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिये जाएंगे ।

7. अस्पष्ट लिखावट के लिए पत्रों अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में क्रमबद्ध, प्रभावी तथा यथार्थ और साथ ही साथ कम शब्दों में अभिव्यक्ति के लिए विशेष ध्यान और अंक दिये जाएंगे ।

अनुसूची

परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

साधारण अंग्रेजी तथा लघु निबन्ध

(क) लघु निबन्ध:—कुछ निर्दिष्ट विषयों में से एक पर निबन्ध लिखना ।

(ख) सामान्य अंग्रेजी:—उम्मीदवारों की निम्नलिखित विषयों की परीक्षा ली जाएगी ।

(1) आलेखन,

(2) सार लेखन,

(3) प्रयुक्त व्याकरण, और

(4) आरम्भिक सारणीकरण (सारणी के रूप में आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थापन और प्रस्तुतीकरण के कार्य की उम्मीदवारों की योग्यता की जांच करने के लिए ।

सामान्य ज्ञान, भारतीय भूगोल सहित

सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन अवलोकन और अनुभव होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे ।

पी० एल० गुप्ता, उप सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 1973

सं० 4(1)/73—ई० पी० जैड०—केन्द्रीय सरकार श्री एस० जी० बोस मलिक, मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात को, श्री के० एस० नारंग के स्थान पर, सान्ताक्रूज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथारिटी के सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 4(1)/73आई० पी० जैड० दिनांक 15 फरवरी, 1973 में निम्नोक्त संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक (9) के सामने प्रविष्टि के लिए, निम्नोक्त प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(9) श्री एस० जी० बोस मलिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात ।

एन० एस० वैद्यनाथन, उप-सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 1973

सं० 26(1)/72—सी०डी०एन०—1/भा०कृ०अ० परिषद्—1. डा० ए० एस० चीमा, कृषि, आयुक्त, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 75 के उपबन्धों के अधीन 8 जुलाई, 1972 से 3 वर्ष की अवधि के लिए सोसाइटी की कृषि अनुसंधान की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था, उपरोक्त नियमावली के नियम 77 के साथ पठित नियम 11(ए) के उपबन्धों के अधीन 30 जनवरी, 1973 के से उक्त समिति के सदस्य नहीं रहे ।

2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 75 के उपबन्धों के अधीन कृषि आयुक्त, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, (कृषि विभाग) को कृषि मंत्री 26 फरवरी, 1973 से 7 जुलाई, 1975 तक की अवधि या मंत्री द्वारा समिति में उनका उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सोसाइटी की कृषि अनुसंधान की स्थायी समिति का सदस्य सहर्ष मनोनीत करते हैं ।

तेजा सिंह प्रुथी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1973

सं० एफ० 18-2/71-ए० एम०—कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) अधिसूचना संख्या 18-2/71 सी० एण्ड एम० दिनांक 25 जून, 1971 के अंतर्गत पुनर्गठित केन्द्रीय शीतागार परामर्शदात्री समिति की कार्य अवधि की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 फरवरी, 1973 से दो वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय शीतागार परामर्शदात्री समिति को पुनर्गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

1. संयुक्त सचिव (तथा विपणन प्रभाग) कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)

सदस्य

1. कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय ।
2. कार्यकारी निदेशक, खाद्य तथा पोषण बोर्ड, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) ।
3. निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ।
4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि ।
5. संयुक्त आयुक्त (मात्स्यकी) कृषि मंत्रालय उनका नामजद व्यक्ति ।
6. संयुक्त आयुक्त (डेरी) कृषि मंत्रालय या उनका नामजद व्यक्ति ।
7. फसल प्रभाग, कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
8. मशीनरी प्रभाग, कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
9. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भांडागार निगम या उनका नामजद व्यक्ति ।
10. सहकारिता विभाग का एक प्रतिनिधि ।
11. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि
12. श्री एम० जे० प्रधान, न्यू इंडिया फिशरीज लि०, ससून डाक कोलाबा, बम्बई-1 । — मांस मछलियों के जमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने लिए ।
13. श्री वी० एच० शाहू कैरा जिला, दुग्ध उत्पादक संघ लि०, आनन्द (गुजरात) । — दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों के जमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए
14. श्री ए० शफी, संसद सदस्य, लोक सभा ।
15. श्री जी० कमक्षय संसद सदस्य, लोक सभा ।

16. एल०सी० स्टोक्स 'प्रेमल' पो० आ० थानेदार, शिमला हिल्ज हिमाचल प्रदेश ।	फल तथा सब्जियों (आलूओं के अतिरिक्त) के जमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने लिए ।
17. श्री एन० डी० सांवत, प्रबंध निदेशक, नासिक जिला, आलू तथा प्याज उत्पादक सहकारी संघ, नासिक ।	आलू के जमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
18. श्री राम डी० मलानी, अध्यक्ष, आल इंडिया एयर कंडीशनिंग एण्ड रैफ्रीजरेशन एसोसिएशन, नई दिल्ली ।	रैफ्रीजरेशन उपकरणों तथा मशीनरी के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
19. श्री वीर पाल सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संघ लिमिटेड, 6 कैंपर रोड, लखनउ ।	सरकारी शीतागारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
20. श्री बी० पी० तिवारी कल्याणपुर शीतागार कल्याणपुर, नागपुर, उत्तर प्रदेश ।	शीतागार लाइसेंस धारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
21. श्री एस० एन० बवरा, अध्यक्ष, बिहार कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन, शाहगंज, पटना–6 ।	–यथोक्त–
22. श्री जे० के० महेश्वरी, अध्यक्ष, वैस्ट बंगाल कोल्ड स्टोरेजिज ओनर्स एसोसिएशन, पो० बा० 2181 कलकत्ता–1 ।	–यथोक्त–
23. श्री एम० मुकुन्दन उन्नी, प्रबंध निदेशक, केरल मत्स्यकी सहकाति, कोचीन–11	
सदस्य सचिव	
24. सहायक आयुक्त (रैफ्रीजरेशन), कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।	

ई० एस० पार्थासारथी,

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 1973

संकल्प

सं० एन०–14015/2/70–एम० डब्ल्यू० एस०–भारत सरकार ने श्रमिक सहकारी सोसाइटियों के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का और दो वर्षों की अवधि के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । पुनर्गठित बोर्ड का गठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

(1) सहकारिता के कार्यकारी केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री ।

सदस्य

(2) सहकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार

(3) सहकारिता मंत्री, उड़ीसा सरकार

(4) श्री एन० के० भट्ट, सदस्य, राज्य सभा

(5) श्री सुल्तान सिंह, सदस्य, राज्य सभा

(6) श्री कार्तिक उराव, सदस्य, लोकसभा

(7) श्री कं० कं० षंट्टी, सदस्य, लोक सभा

(8) श्री हरिकिशोर सिंह, सदस्य, लोक सभा

(9) श्री आर० एम० देसाई, ग्राम यादाहाली, तालुक बिरगी, जिला बीजापुर ।

(10) श्री एस० शिवसुब्रह्मण्यम्, (भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा) मुत्तुकामाक्षीमान्तोट्टम, चिदम्बरम, जिला साउथ आरकोट (तमिल नाडु) ।

(11) डा० शान्ति जी० पटेल, स्नेहसदन, बी–11, शीतलादेवी टैम्पल रोड, माहिम, बम्बई–6 ।

(12) श्री शशि भूषण राव, महासचिव, साउथ ईस्टर्न रेलवे-मैन कांग्रेस, चर्च रोड, हावड़ा ।

(13) श्रीमती शान्ताबेन बी० पटेल, सरदार सोसाइटी, विसनगर, जिला महसाना ।

(14) श्री रामनाथ अमलकर, ग्राम पुरे सट्टी बहादुर, माजरे रिसलपुर लोतन्हा, पी० ओ० लालगंज, जिला राय बरेली, मध्य प्रदेश ।

(15) श्री नत्था सिंह, विधान-सभा सदस्य, बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान ।

(16) श्रीमती लीला दामोदरन मेनन, "नौका", आजाद रोड, कोचीन–17 ।

(17) संयुक्त सचिव, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, 72, जोरबाग, नई दिल्ली ।

(18) अध्यक्ष, पंजब स्टेट को-आपरेटिव लेबर एण्ड कनस्ट्रक्शन फेडरेशन लि०, हाउस नं० 8, सेक्टर 21–ए, चण्डीगढ़ ।

(19) अध्यक्ष, दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव लेबर एण्ड कन्स्ट्रक्शन सोसायटीज फेडरेशन लि०, 13/4429, पहाड़ी धीरज, दिल्ली–6 ।

(20) अध्यक्ष, फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव सोसायटीज लि०, 1–4–793, मुषीराबाद, हैदराबाद–20 (आंध्र प्रदेश) ।

(21) प्रबन्ध निदेशक, गिरिजन कोआपरेटिव कारपोरेशन लि०, विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश) ।

(22) प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट ट्राइबल कोआपरेटिव डेवेलपमेंट कारपोरेशन लि०, मोराबाड़ी रोड, रांची–8 ।

(23) सहकारी समितियों के पंजीयक, गुजरात ।

(24) सहकारी समितियों के पंजीयक, हरियाणा ।

(25) सहकारी समितियों के पंजीयक, महाराष्ट्र ।

(26) सहकारी समितियों के पंजीयक, पंजाब ।

(27) सचिव, सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ।

(28) अतिरिक्त सचिव, सामुदायिक विकास विभाग, कृषि मंत्रालय ।

(29) श्री एस० एस० पुरी, संयुक्त सचिव, योजना आयोग ।

(30) चीफ इंजीनियर (सतर्कता), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण और आवास मंत्रालय को प्रतिनिधित्व करके ।

(31) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय प्रायोजना निर्माण निगम, ई–9, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली, सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करके ।

(32) उप निदेशक (सहकारिता), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, रेलवे मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करके ।

(33) संयुक्त सचिव, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय, नई दिल्ली ।

(34) उप सचिव, समाज कल्याण विभाग ।

(35) उप वन महा निरीक्षक, कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय ।

सदस्य सचिव

(36) संयुक्त सचिव (सी० एम०), सहकारिता विभाग ।

2. बोर्ड के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) श्रमिक सहकारी सोसायटियों के कार्यचालन की प्रगति का पुनरावलोकन करना;

(2) कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करने और उनकी पहल शक्ति तथा नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए उपायों का सुझाव देना;

(3) कार्यक्रम को चलाने के लिए अपेक्षित कार्यकर्ताओं की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के प्रबन्धों के बारे में सुझाव देना;

(4) श्रमिक सहकारी सोसायटियों से सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार करने के बारे में सलाह देना;

(5) ऐसे दूसरे उपायों के बारे में सलाह देना जो बोर्ड के विचारणीय विषयो के बारे में सुसंगत हों ।

3. बोर्ड, जब कभी आवश्यक समझा जाए, श्रमिक सहकारी सोसायटियो के कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर कार्यवाही करने के लिए समितियां नियुक्त कर सकता है । ये समितियां विशिष्ट कार्यों के लिए ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है जिन्हे सम्बन्धित समस्याओं का विशेष ज्ञान अथवा उपयुक्त क्षेत्रीय अनुभव हो ।

4. वह व्यक्ति जो पदेन के रूप में अथवा किसी विशेष पद पर होने के नाते बोर्ड का सदस्य नियुक्त हुआ हो, यदि उस पद अथवा नियुक्ति पर नहीं रहता है, तो वह आप से आप बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा । सभी आकस्मिक रिक्तियां उस प्राधिकारी अथवा निकाय की सलाह से भरी जायेंगी जिसने स्थान रिक्त करने वाले सदस्य को मनोनीत किया था ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित को भेजी जाए । यह भी आदेश है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

मंजूर आलम कुरेशी, सचिव

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 1973

परिशिष्ट

सं० 22/23/71–एस० डब्ल्यू०–5—इस विभाग के सम संख्यक संकल्प दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 के आंशिक अशोधन में निम्नलिखित परिवर्धन किया जाए :—

क्रम संख्या 12–क मद्य निषेध के कार्यभारी मंत्री मेघालय, शिलांग । सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस परिशिष्ट की एक-एक प्रतिलिपि समिति के सभी सदस्यों भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, मंत्रीमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद कार्य विभाग, अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद् तथा सभी राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस परिशिष्ट को साधारण सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

टी० एस० एन० स्वामी, अवर सचिव

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1973

संकल्प

सं० वि० का० दो० 34(2)/71—परियोजना प्राक्कलनों में बड़ी संख्या में संशोधन किए जाने के कारणों की वैज्ञानिक जांच करने के लिए इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि०का० दो 34(2)/71 दिनांकित 25 जनवरी, 1972 द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि०का० दो 34(2)/71 दिनांकित 3 अगस्त, 1972 द्वारा बढ़ायी गयी तिथि 31 अक्तूबर, 1972, को 31 मार्च, 1973 तक पुनः बढ़ाया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग एक खण्ड एक में प्रकाशित कर दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा इस समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी भेज दी जाए ।

दिनांक 20 मार्च 1973

संकल्प

सं० वि० का०–दो–31(17)/72—सिंचाई शक्यता के समुपयोजन म कमी के कारणों की जांच करने तथा उपचारी उपायों के लिए सलाह के निमित्त इस मंत्रालय के संकल्प संख्या वि०का०–दो–31(17)/72, दिनांक 4 अगस्त, 1972 द्वारा मंत्रियों की एक समिति के गठन की अवधि एतद्द्वारा 3 मई, 1973 तक बढ़ाई जाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, भाग-एक, खण्ड-एक में प्रकाशित कर दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों तथा समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को भेज दी जाए।

सत्येन्द्र नाथ गुप्ता, संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1973

संकल्प

विषय:—आसाम की राजधानी के लिये स्थान के चयन हेतु एक समिति की नियुक्ति।

सं० के० 14011/26/72–यू० डी० II—मेघालय राज्य बनने से शिलांग नगर इस की सीमा के भीतर आ गया है, जिससे यह आवश्यक हो गया है कि उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आसाम की राजधानी बनाने के लिए एक स्थान निर्धारित किया जाये। आसाम की स्थायी राजधानी के स्थान के प्रश्न पर निर्णय होने तक राज्य सरकार ने गोहाटी के समीप अस्थायी राजधानी दिसपुर से कार्य करने का निर्णय किया है। परन्तु इसका राजधानी के स्थाई स्थान के चुनाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे पूर्व, आसाम सरकार ने नवम्बर, 1970 में एक समिति की नियुक्ति की थी, जिस में 3 राज्य सरकार के अधिकारी थे और 1 भारत सरकार के नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन का अधिकारी था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्थायी राजधानी बनाने के लिये 4 उपयुक्त स्थानों का सुझाव दिया था जिन्हें दी गई तरजीह का क्रम निम्नलिखित है :–

1. चन्द्रपुर
2. सोनाईघुली
3. सोनापुर डिघरू तथा
4. सिलघाट

(2) क्योंकि प्रस्तावित पहले 3 स्थान गोहाटी क्षेत्र में हैं अतः आसाम सरकार ने यह निर्णय किया है कि स्थाई स्थान का चयन चन्द्रपुर, जो गोहाटी क्षेत्र के 3 स्थानों में से पहला है, और सिलघाट में से किया जायेगा। इन दो में से अन्तिम निर्णय भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा दोनों स्थानों के तुलनात्मक गुणों तथा अवगुणों के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिये। तदनुसार, आसाम सरकार ने भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय से एक ऐसी समिति नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

(3) इस अनुरोध पर विधिवत विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है :–

1. श्री बी० डी० कम्बों
   मुख्य नगर आयोजक
   राजस्थान सरकार। — अध्यक्ष
2. प्रो० मंजूर आलम,
   भूगोल विभाग के अध्यक्ष,
   ओस्मानियां विश्वविद्यालय,
   हैदराबाद। — सदस्य
3. डा० पी० बी० देसाई,
   मुख्य डैमोग्राफिक अनुसन्धान केन्द्र,
   इंस्टीट्यूट आफ इकोनामिक ग्रोथ,
   दिल्ली। — सदस्य
4. डा० बी० एन० सिन्हा,
   निदेशक,
   इंजीनियरिंग, जियालोजी डिविजन (ईस्ट)
   ईस्टर्न रिजन, जियालोजिकल सर्वे आफ इण्डिया। — सदस्य
5. श्री बी० बी० राव,
   उप-सलाहकार (पी० एच० ई० ई०),
   निर्माण और आवास मंत्रालय। — सदस्य
6. डा० बी० एन० विश्वनाथ,
   नगर तथा ग्राम सह-आयोजक,
   नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन,
   निर्माण और आवास मंत्रालय,
   कमेटी के संयोजक तथा मंत्री होंगे।

डा० विश्वनाथ, संयोजक की सहायता उपयुक्त तकनीकी और सचिवीय वर्ग के कर्मचारी करेंगे। राजधानी का स्थान निर्धारण के लिए प्रस्तावित स्थलों का मूल्यांकन करने के लिए समिति अध्ययन प्रारम्भ करने, अथवा विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुपों को अध्ययन–कार्य सौंपने के लिए यथा आवश्यक स्वतन्त्र होंगी।

(4) उक्त कमेटी के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:–

(i) आसाम राज्य की वर्तमान प्रशासनिक तथा विकासात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में राजधानी की भूमिका तथा कार्य का मूल्यांकन करना।

(ii) इन आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तावित चन्द्रपुर तथा सिलघाट के स्थलों के गुण दोषों का मूल्यांकन करना।

(iii) इन दो स्थलों का विशेषरूप से भूमि की बनावट, भौतिक विशेषताएं, परिवहन तथा संचार सम्बन्धी सम्पर्क आदि से सम्बन्धित गुण दोषों का मूल्यांकन।

(iv) जलपूर्ति, मलनिपटान, बिजली की आवश्यकताएं सामाजिक सेवाएं स्कूलों, कालिजों तथा अस्पतालों, मकानों की आवश्यकता जैसी आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता तथा उनकी मात्रा का मूल्यांकन करना।

(v) दोनों केन्द्रों में राजधानी के सुचारू रूप से कार्य करने के लिये अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था के लिए अनुमानित लागत बताना तथा यह सुझाव देना कि कब कब दी जाएं।

(vi) अन्तिम रूप से चुने गये स्थान पर राजधानी की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक तथा वैधानिक ढांचे का सुझाव देना।

(5) गैर–सरकारी सदस्यों को देय मानदेय, पूर्णकालिक कर्मचारियों का खर्च तथा कमेटी के सदस्यों की यात्रा पर व्यय और अन्य भत्तों को आसाम सरकार वहन करेगी। गैर–सरकारी सदस्यों को, यात्रा के उद्देश्य से प्रथम श्रेणी अधिकारी माना जायेगा।

(6) समिति अपना कार्य समाप्त कर के 6 मास के अन्तर्गत रिपोर्ट दे देगी। जब तक कि इस का कार्य काल भारत सरकार द्वारा बढ़ाया न जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

पी० प्रभाकर राव, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th March 1973

No. 15-Pres./73.—Corrigendum.—In this Secretariat notification No. 8-Pres./73 dated 26th January, 1973, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, on Friday, the 26th January, 1973, the following corrections may be carried out :—

Under Padma Vibhushan

For "Dr. Daulat Singh Kothari, Formerly Chairman, University Grants Commission, New Delhi."

Read "Professor Daulat Singh Kothari, Formerly Chairman, University Grants Commission, New Delhi."

Under Padma Bhushan

For "Dr. Om P. Bahl, Professor in Biochemistry, University of Buffalo, New York".

Read "Dr. Om Prakash Bahl, Professor in Biochemistry, University of Buffalo, New York".

For "Dr. Raja Muthiah Annamalai Muthiah Chettiar, Industrialist, Tamil Nadu".

Read "Dr. Rajah Muthiah Annamalai Muthiah Chettiar, Industrialist, Tamil Nadu".

For "Shri Vinoo Mankad, Cricketer, Maharashtra".

Read "Shri Vinoo Himatlal Mankad, Cricketer, Maharashtra".

Under Padma Shri

For "Dr. Bhoi Bheemanna, Telugu Writer, Andhra Pradesh".

Read "Dr. Boyi Bhimanna, Telgu Writer, Andhra Pradesh".

For Shri Chellasami Sirchabai Murugabhupathy, Percussionist, Tamil Nadu".

Read "Shri Chellasami Sirchabai Murugabhoopathy, Percussionist, Tamil Nadu".

For "Shri Chinnaswamy Rajam Subramanian, Managing Director, Bharat Electronics, Bangalore".

Read "Shri Chinnaswamy Rajam Subramanian, Managing Director, Bharat Electronics, Bangalore".

For "Dr. Jamsaheb Nowroji Vazifdar, Social Worker, Maharashtra".

Read "Dr. Jamshed Nowroji Vazifdar, Social Worker, Maharashtra".

For "Dr. Kandarp Tulja Shankar Dholakia, Orthopaedic Surgeon, Maharashtra".

Read "Dr. Kandarp Tuljashankar Dholakia, Orthopaedic Surgeon, Maharashtra".

For "Shri Krishnan Raghavachari, Principal Scientific Officer, Explosive Research and Development Laboratory, Pashan, Pune, Maharashtra".

Read "Shri Raghavachari Krishnan, Principal Scientific Officer, Explosive Research and Development Laboratory, Pashan, Pune, Maharashtra".

For "Dr. Madalli Gopala Krishna, Director, Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun, Uttar Pradesh".

Read "Dr. Maddali Gopala Krishna, Director, Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun, Uttar Pradesh".

For "Dr. Nandlal Bordia, Emeritus Professor in Tuberculosis, MGM College, Indore, Madhya Pradesh".

Read "Dr. Nandlal Lachmilal Bordia, Emeritus Professor in Tuberculosis, MGM College, Indore, Madhya Pradesh".

For "Shri Prabhashankar Ogadhbhai Sompura, Architect, Ahmedabad, Gujarat".

Read "Shri Prabhashankar Oghadbhai Sompura, Architect, Ahmedabad, Gujarat".

For "Dr. Ramchandra Krishnadas Menda, Consulting Surgeon, Bombay, Maharashtra".

Read "Dr. Ramchand Kishindas Menda, Consulting Surgeon, Bombay, Maharashtra".

For "Shri Ramchandra Vishwanath Wardekar, Leprologist, Poona, Maharashtra".

Read "Dr. Ramchandra Vishwanath Wardekar, Leprologist, Poona, Maharashtra".

For "Kumari Rohini Poovaiah, Formerly Principal, Croswaithe College, Allahabad".

Read "Kumari Codanda Rohini Poovaiah, Formerly Principal, Croswaithe College, Allahabad".

For "Shri Salam Machblisheri, Urdu Poet, Delhi".

Read "Shri Salaam Machhlishehri, Urdu Poet, Delhi".

Read Shrimati Sulochana Mohanlal Modi, Social Worker, Maharashtra".

Read "Shrimati Sulochana Mohanlal Modi, Social Worker, Maharashtra".

For "Shri Thikkurussi Sukumaran Nair, Film Artiste, Trivandrum, Kerala".

Read "Shri Thikkurissi Sukumaran Nair, Film Artiste, Trivandrum, Kerala".

The 24th March 1973

No. 17-Pres./73.—Corrigendum.—In this Secretariat Notification No. 97-Pres./72, dated the 15th August, 1972, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated Tuesday, the 15th August, 1972, the following corrections may be carried out :—

Under Sanskrit

For "Shri Gunderao Karkare".

Read "Shri Gunde Rao Harkare".

For "Shri Varahoot Sankarasivakulam Vaidyanath Iyer Guruswamy Sastri".

Read "Shri Varahoor Sankarasivakulam Vaidyanatha Aiyar Guruswamy Sastri".

Under Arabic

For "Shri Imtiaz Ali Arshi".

Read "Shri Imtiyaz Ali Khan Arshi".

Under Persian

For "Dr. S. A. H. Abidi"

Read "Dr. Saiyid Amir Hasan Abidi".

The 29th March 1973

No. 18-*Pres./73.—Corrigendum.*—In this Secretariat's Notification No. 11-Pres./71, dated the 2nd February, 1971, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 13th February, 1971, the following may be read in place of para 2 at page 1744 :—

"These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently the awards carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd October, 1969".

The 30th March 1973

No. 19-*Pres./73.*—The President is pleased to award the President Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ram Kishun Rai,
Constable No. 139,
District Ballia,
Uttar Pradesh. (*Deceased*)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 11th June, 1971, at about 5.30 P.M., Shri Ram Kishun Rai was crossing the river Ganga in a boat from the Steamer Ghat, Ghazipur, on his way back to his village Nagsar across the river. The river was in spate and the water currents were swift. The boatmen could not control the boat in the turbulent conditions and when the boat was only about 200 yards away from the other bank of the river, water started to rush inside it. Both the boatmen jumped out of the boat in order to save their own lives. The boat turned turtle and capsized and the passengers began to drowning. Shri Ram Kishun Rai jumped into the river in order to rescue the drowning passengers. In disregard of his personal safety and of the fact that his son was travelling in the same boat and was drowning he saved five other persons and brought them to the bank of the river one by one. Thereafter he went to rescue his own son. But by then, Shri Ram Kishun Rai had become so much exhausted that he could not resist the swift water currents. He was not able to save his son either and was himself swept away and drowned.

Shri Ram Kishun Rai displayed conspicuous gallantry and courage and saved the lives of five persons at the cost of his own life and the life of his son.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th June, 1971.

No. 20-*Pres./73.*—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri Amrik Singh,
Head Constable,
57th Battalion,
Border Security Force. (*Deceased*)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Amrik Singh was posted as a Section Commander of the Platoon deployed at Pussa Border Outpost. On the night of 3rd/4th December, 1971, the Pakistanis suddenly launched an attack on Pussa Border Outpost. The attack was launched at about 2050 hrs. Immediately thereafter the Pak tanks also took position near the BOP followed by an infantry assault. Because of this sudden attack it was decided to withdraw the Platoon from the post and collect it at a previously selected place. To effect organised withdrawal to rear position Shri Amrik Singh realised that Pakistanis were approaching the Border Outpost so fast that it would be difficult for his men to withdraw to the selected place. He himself manned the LMG and ordered his section to withdraw. He kept the assaulting enemy troops at bay till his men had moved out of the Border Outpost. By that time the enemy troops from left as well as night had started closing in on the Border Outpost. Shri Amrik Singh then decided to leave the post but as he was coming out of the trench he was hit by a burst of automatic fire and was grievously wounded. When a Naik wanted to carry him to a safe place Shri Amrik Singh refused the help and ordered him to ensure that the section was withdrawn to rear position safely. After saying this he breathed his last.

In the enemy action on the Pussa Border Outpost Shri Amrit Singh exhibited courage and sacrificed his life in order to enable his Platoon to withdraw to safe position.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th December, 1971.

No. 21-*Pres./73.*—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Kanwar Pal,
Constable No. 47407,
40th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 2nd December, 1971, the State Bank treasure which was being transported in a station wagon by three Bank officials under the escort of two armed guards from Durgapur Head Office to its branch in the Mining and Allied Machinery Corporation was held up at about 12.45 hrs. near the Damodar Valley Corporation crossing on GT Road. The station wagon was intercepted by a black car which was carrying certain miscreants who hurled bombs on the station wagon and took possession of Rs. 4 lakhs at the point of pistol. They also snatched one 12 bore gun from one of the guards and sped away in the car. During the escape one of the wheels of the car got stuck in a drain and it stopped. The dacoits threw the 12 bore gun and abandoned the car and filed away on foot towards Phuljor. While retreating the dacoits came within the close range of Shri Kanwar Pal, who was posted as a guard near Phuljor for safeguarding Central Reserve Police Force lands there. One of the decoits pointed a revolver at Shri Kanwar Pal but in disregard of his personal safety Shri Kanwar Pal compelled the dacoit to surrender before he could use his revolver. The other two dacoits were also arrested by the police party. A sum of Rs. 3,20000/- was recovered from the area. In the meantime the bank officials and the members of the civil police also arrived and on search a sum of Rs. 23,000/- and some ammunition was recovered.

In chasing these hardened criminals Shri Kanwar Pal exhibited initiative presence of mind and conspicuous gallantry in disregard to his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd December, 1971.

No. 22-*Pres./73.*—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Tuhi Ram,
Constable No. 68020042,
10th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Tuhi Ram was posted to 10th Battalion of Central Reserve Police Force which was deployed in Tamenglong District of Manipur State. On the 27th October, 1971, information was received that a gang of hostiles was camping in

a thick jungle near Tharon Village about 23 miles from the C.R.P.F. Battalion Headquarters. A patrol party was detailed to raid the hostile camp and to capture the hostiles. Shri Tuhi Ram accompanied the patrol party and after a night long march reached the place and located the hostile camp but it had been abandoned. The patrol party demolished the camp and started searching for the hostiles. When the patrol party had moved about a kilometer, the hostiles opened fire on the leading section of the patrol party. The Assistant Commandant was hit by a bullet and was seriously injured. In disregard to his personal safety Shri Tuhi Ram rushed towards the Assistant Commandant ignoring the heavy fire and brought him to a safe place. In the process Shri Tuhi Ram was also seriously wounded on his left chest and left arm by a burst of bullets.

It was because of the gallant action of Shri Tuhi Ram that the life of the Assistant Commandant was saved and the hostiles were made to retreat.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th October, 1971.

No. 23-Pres./73.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Rewat Singh,
Jemadar,
11th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of January 12/13, 1972, Shri Rewat Singh led a patrol to intercept movements of hostiles near Rezenhema Village in Manipur. On the morning of the 13th January Shri Rewat Singh suspected movements of hostiles at a place away from where he had originally deployed his men. Shri Rewat Singh moved to a dominant hill feature and waited in an ambush. A gang of heavily armed hostiles, who were on their way to Rezenhema Village were given information about the presence of the Central Reserve Police Force men. On receipt of the information the hostiles broke into groups with the intention to surround the CRPF patrol. One of the groups moved ahead and challenged the CRPF Commander Shri Rewat Singh who was near the look-out man in disregard to his personal safety jumped out from his position and engaged the group with his fire-arms. The hostiles also returned the fire with automatic weapons. Even though the patrol party was heavily outnumbered, Shri Rewat Singh shattered the morale of the hostiles by using area weapons and personal weapons and made the hostiles to retreat leaving behind arms and ammunition, rations and important documents.

In this encounter Shri Rewat Singh exhibited conspicuous gallantry and dealt a severe blow to the hostiles.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 13th January, 1972.

No. 24-Pres./73.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Names and ranks of the officers

Shri Sukhcharan Singh,
Head Constable,
27th Battalion,
Border Security Force.

Shri Har Narain,
Lance Naik,
27th Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 12th December, 1971 a raid was launched to recapture border out-post Mulakot which was then in the possession of Pak Army. The terrain around the BOP being flat, the BSF party crawled for about 800 yards to close on the outpost. The enemy, however, got alerted and opened fire with automatics and mortars and pinned down the party. Shri Sukhcharan Singh and Shri Har Narain moved forward and lobbed hand grenades on the enemy fire trenches and also inflicted casualties with their personal weapons. This enabled the whole party to further close in and inflict more casualties on the enemy in men and material. When Shri Sukhcharan Singh and Shri Har Narain were about to return Shri Sukhcharan Singh received a shell wound on his leg. The leader of the party was also badly wounded and fell inside the picket. Shri Sukhcharan Singh unmindful of his own bleeding wound and in disregard of heavy enemy fire rushed forward to help the leader of the party. Simultaneously, Shri Har Narain also rushed to pick up the wounded officer. While Shri Har Narain carried the wounded officer on his back Shri Sukhcharan Singh kept vigil to face any pursuit from the enemy.

Shri Sukhcharan Singh and Shri Har Narain exhibited exemplary courage in helping the raiding party and also in bringing the wounded leader of the party to a safe place in disregard of the danger of pursuit from the enemy.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th December, 1971.

No. 25-Pres./73.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Sube Singh,
Superintendent of Police,
Sangrur,
Punjab.

Shri Jaswant Singh Brar,
Deputy Superintendent of Police,
Barnala,
Punjab.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 27th January, 1972, information was received by Shri Sube Singh that some members of notorious extremists were likely to pass through the Maur-Sehna Distributory Bridge on Raisar-Bhaktgarh *kacha* route on their way to Pakho for the commission of a heinous crime. Shri Sube Singh immediately left for Barnala with his staff. Shri Jaswant Singh Brar had already arranged *nakabandi* near the Distributory Bridge. On reaching the bridge further *nakabandi* was organised by Shri Sube Singh. Shri Jaswant Singh Brar and others manned the strategic approaches to the bridge from Bhakatgarh side taking cover of the wing walls of the bridge and canal embankments. The *nakabandi* parties remained alert in the chilly night till about 3 A.M. when four armed criminals were seen approaching the service bank from the Raisar side. On being challenged the criminals opened fire on the police party. Even though they were warned by the police to surrender yet the criminals did not stop firing. A few bullets fired by the criminals shaved close past to Shri Sube Singh and Shri Jaswant Singh Brar but they remained undeterred and continued advancing towards the criminals. Shri Jaswant Singh Brar advanced towards the criminals in crawling position and fired at them with his service revolver. After an encounter of one and a half hour, the firing from the side of the criminals stopped. On proceeding further the police recovered dead bodies of three criminals. The fourth criminal appeared to have escaped under the cover of land slopes and ditches.

In this encounter Shri Sube Singh and Shri Jaswant Singh Brar exhibited conspicuous gallantry and faced the criminals shoulder to shoulder with their staff and killed three desperate criminals.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the case of Shri Jaswant Singh Brar, the award carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th January, 1972.

No. 26-Pres./73.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Name and ranks of the officers

Shri Raghunandan Sharma,
Sub-Inspector of Police,
District Morena,
Madhya Pradesh,

Shri Prem Narayan Shukla,
Company Commander,
24th Battalion,
Special Armed Police.
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On receipt of information that the gang of dacoit Phoola was present near village Holapura which is situated on the trijunction of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan, two Police parties under the charge of Company Commanders were sent to the area on 26th April, 1971. One of these Police parties was led by Shri Prem Narayan Shukla. After compelling the dacoit to take shelted in village, one of the Police parties returned. On the evening of 30th April, 1971, information was received by the Police party led by Shri Prem Narayan Shukla that the gang leader of the dacoits was sleeping in a house in village Naya Bans. On receipt of the information, Police party consisting of 8 persons including Shri Raghunandan Sharma rushed to the spot and surrounded the hide-out of the dacoit in village Naya Bans, Shri Shukla alongwith Shri Raghunandan Sharma entered the house. When Shri Raghunandan Sharma was going to the cot on which the dacoit leader was sleeping, the dacoit got up. In disregard of his personal safety, Shri Raghunandan Sharma jumped upon the dacoit in order to overpower him. Shri Shukla helped Shri Sharma and made the grip secure. In the scuffle with the dacoit leader, Shri Sharma kept the barrel of the rifle of the dacoit leader diverted upwards as a result of which 8 rounds fired by the dacoit could not hit any of the Police Officers. With the help of the other Police Officers, the dacoit leader was shot dead.

In this encounter, Shri Prem Narayan Shukla and Shri Raghunandan Sharma exhibited conspicuous courage and gallantry and shot dead the dacoit leader.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th April, 1971.

A. MITRA, Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi-110001, the 7th April 1973

RULES

No. 10/4/73-CS(II).—The rules for a competitive examination to be held by the Institute of Secretariat Training & Management, Department of Personnel & Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, New Delhi, for the purpose of filling temporary vacancies reserved for regularly appointed Class IV Staff in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, the Armed Forces Headquarters Clerical Service and Grade VI of the Indian Foreign Service Branch (B) are published for general information.

The candidates who are admitted to the examination will be eligible to compete for vacancies in the Lower Division Grade :

(i) in the Central Secretariat Clerical Service, if they are working in the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service.

(ii) in the Armed Forces Headquarters Clerical Service if they are employed in the Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations; and

(iii) in Grade VI of the IFS(B) if they are employed in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Institute of Secretariat Training & Management, Department of Personnel & Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat. Reservations will be made for candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Caste/Tribe Lists (Modification) Order, 1956, read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962 the Constitution of (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training & Management, Department of Personnel & Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

4. The date on which and the place(s) at which the examination will be held at Delhi and selected Indian Missions abroad shall be fixed by the Institute of Secretariat Training & Management.

5. Any permanent or regularly appointed temporary Class IV employee who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination.

I. *Length of Service.*—He should have rendered on 1st January, 1973 not less than 5 years approved and continuous service as a Class IV employee or in any higher grade in the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service or Armed Forces Headquarters and/or Inter Service Organisations or in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad.

NOTE (1).—The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of the candidate is partly as a Class IV employee in any Ministry or Office participating in the Central Secretariat Clerical Service or in the offices participating in the Armed Forces Headquarters Clerical Service and partly elsewhere in equivalent or higher grade or as Class IV employee in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad.

NOTE (2).—Class IV employees who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. A class IV employee who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on transfer and continues to have a lien on a Class IV post for the time being will also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

II. He should not be more than 45 years of age on 1st January, 1973 i.e., he must not have been born earlier than 2nd January, 1928..

The age limit prescribed above will be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

III. *Educational Qualification.*—Candidates must have passed one of the following examinations or possess one of the following certificates :—

(i) Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) An examination held by the State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation Certificate for entry into service;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the Sate Government;

(v) Tenth Class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic;

(vi) Pass in the Examination held by a recognised Higher Secondary School/Multipurpose School in India, at the end of the penultimate year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 year degree course);

(vii) Tenth Class Certificate from a recognised School preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(viii) Tenth Class Certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry;

(ix) Junior Examination of Jamia Millia Islamia, Delhi in the case of *bona fide* resident students of the Jamia only;

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (since inception);

(xii) 'Vinit' Examination of the Gujarat Vidyapith, Ahmedabad;

(xiii) The following French Examinations of Pondicherry; (i) 'Bervet Elementarie' (ii) 'Brevet' D Enseignment Primaire de Langue Indienne' (iii) 'Brevet d' etudesa du Premier Cycle (iv) 'Brevet D Enseignment Primarie Superieur de Langue Indienne and (v) D' Langue Indienne (Vernacular);

(xiv) Pass in the 5th year of 'Lyceum' a Portuguese qualification in Goa, Daman and Diu;

(xv) Indian Army Special Certificate of Education;

(xvi) Higher Educational Test of the Indian Navy;

(xvii) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xviii) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xix) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xx) Secondary School Certificate granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajashahi/Khulna/Jessore in erstwhile East Pakistan (now Bangladesh).

(xxi) School Leaving Certificate Examination of the Government of Nepal;

(xxii) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate (Burma); .... ..

(xxiii) Burma High School Final Examination Certificate;

(xxiv) Anglo-Vernacular High School Examination of the Education Department Burma (Pre-War);

(xxv) Post-War School Leaving Certificate of Burma;

(xxvi) General Certificate of Education Examination of Ceylon at Ordinary Level provided it is passed in six subjects including English and Mathematics and either Sinhalese or Tamil;

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Board, London at 'Ordinary' level provided it is passed in five subjects including English;

(xxviii) Junior/Secondary Technical School Examination conducted by any of the State Board of Technical Education;

(xxix) Purva Madhyama (with English) or old Khand Madhyama first two years course and special examination in additional subjects with English as one of the subjects of the Varanaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi;

(xxx) Carta de Curso de Formacao de Serralheiro (Certificate in Smithy Course) and Carta de Curse de Montador Electricista (Certificate in Electrician Course) awarded by the Escola Industrial Commercial de Goa, Panaji, under the Portuguese set up prior to liberation of Goa, Daman and Diu;

(xxxi) Rashtriya Indian Military College Diploma Examination;

(xxxii) 'Madhyama' examination conducted by the Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi;

(xxxiii) IAF Educational Test for promotion to the rank of Corporal conducted by the Directorate of Education, Air Headquarters, New Delhi;

(xxxiv) Qualifying Science Examination, 1965, conducted by the Delhi University;

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination, the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result, may apply for admission to this examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications the standard of which, in the opinion of that Government justifies his admission to the examination.

6. The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

7. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Institute.

8. A candidate who is or has been declared by the Institute guilty of impersonation or submitting fabricated document or documents which have been tampered with or making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall or its precincts, or of not complying with the instruction issued by the Institute or the Supervisor/Invigilator may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution :

(a) be debarred permanently or for a specified period by the Institute from admission to any examination or appearance at any interview held by the Institute for selection of candidates; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

9. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Institute in three separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Institute to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the Examination, in the Central Secretariat Clerical Service, Armed Forces Headquarters Clerical Service and Grade VI of IFS (B) respectively.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute of Secretariat Training & Management by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to the Lower Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Lower Division Clerk on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Institute in their discretion and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the results.

12. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is eligible and suitable in all respects for appointment to the Service.

13. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of the disabled ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

14. All appointments on the results of this examination shall be subject to the condition that unless a candidate has already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training & Management, he shall pass such a test at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute to be held by the authority designated by the Government for the purpose within a period of one

year from the date of appointment, failing which no annual increment(s) shall be allowed to him until he has passed the said test.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation, he is liable to be reverted to his substantive appointment or temporary post held by him before his appointment to Lower Division Grade.

NOTE 1.—A candidate appointed on the results of the examination, who has already passed the typewriting test as prescribed above or who passes it within a period of 6 months from the date of his appointment will be granted the first increment after 6 months instead of after one year's service. This will, however, be absorbed in the subsequent regular increment.

NOTE 2.—In addition to the concession referred to in Note 1, two advance increments absorbable in future increase will be granted to those who pass the typewriting test at 40 w.p.m. in English and 35 w.p.m. in Hindi within a period of one year from the date of appointment.

15. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment as a Class IV employee, or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien on a Class IV post will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a class IV employee who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

APPENDIX

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maximum Marks		Time allowed
I.	General English & Short Essay			
	(a) Short Essay	100	200	3 hours
	(b) General English	100		
II.	General Knowledge including Geography of India	100		2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer part (a) of paper (I) or paper (II) or both either in Hindi (in Devanagri Script) or in English. Part (b) of paper (I) must be answered in English by all candidates.

Note I.—The option for paper (II) will be for the complete paper and not for different questions in it.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (in Devanagri Script) should indicate their intention to do so clearly in column 15 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3.—The option once exercised will be final and no request for change of option will ordinarily be entertained.

NOTE 4.—No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate.

NOTE 5.—Question Papers on (i) Short Essay and (ii) General Knowledge including Geography of India will be supplied both in Hindi and English.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

5. The Institute of Secretariat Training & Management has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be awarded for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks of the papers will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS FOR THE EXAMINATION

General English and Short Essay

(a) *Short Essay.*—An essay to be written on one of several specified subjects.

(b) *General English.*—Candidates will be tested in the following :

(i) Drafting;

(ii) Precis writing

(iii) Applied Grammar; and

(iv) Elementary tabulation (To test candidate's ability in the art of compiling, arranging and presenting data in a tabular form).

General Knowledge including Geography of India

General Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on Geography of India.

P. L. Gupta Deputy Secretary

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi the 21st March 1973

No. 4(1)/73-*EPZ.*—The Central Government hereby appoints Shri S. G. Bose Mullick, Chief Controller of Imports & Exports as a member of the Santa Cruz Export Processing Zone Authority *vice* Shri K. S. Narang and makes the following amendment in the Government of India, Ministry of Commerce Notification No. 4(1)/73-EPZ, dated the 15th February, 1973, namely :—

In the said Notification for the entry against serial number (ix), the following entry shall be *substituted*, namely :—

"(ix) Shri S. G. Bose Mullick, Chief Controller of Imports & Exports."

N. S. VAIDYANATHAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 16th March, 1973

No. 26(1)/72-*CDN(I)/ICAR.*—1. Dr. A. S. Cheema, Agricultural Commissioner to the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), who was last nominated as a member of the Standing Committee for Agricultural Research of the Society for a period of 3 years with effect from the 8th July, 1972, under the provisions of Rule 75 of the Rules of the I.C.A.R., has ceased to be member of that Committee under the provisions of Rule 77 read with Rule 11(a) of the said Rules with effect from 30th January, 1973.

2. Under the provisions of Rule 75 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Agriculture has been pleased to nominate the Agricultural Commissioner to the Government of India, Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture) as member of the Standing Committee for Agricultural Research of the Society for the period from the 26th February 1973 to 7th July, 1975, or till such time as his successor is nominated thereon by him, whichever is earlier.

T. S. PRUTHI, Under Secy.

New Delhi, the 17th March 1973

No. F. 18-2/71-*AM.*—On the expiry of the term of the Central Cold Storage Advisory Committee reconstituted under the Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture) Notification No. 18-2/71-C&M, dated 25th June, 1971, the Central Government hereby reconstitutes for a period of two year from the 1st February, 1973, the Central Cold Storage Advisory Committee consisting of the following members, namely:

Chairman

1. Joint Secretary (Credit and Marketing Division), Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture).

Members

1. Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection.
2. Executive Director, Food & Nutrition Board, Ministry of Agriculture, (Department of Food).
3. Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
4. A representative of the Indian Council of Agricultural Research.
5. Joint Commissioner (Fisheries), Ministry of Agriculture or his nominee
6. Joint Commissioner (Dairy), Ministry of Agriculture or his nominee.
7. A representative of Crops Division, Ministry of Agriculture.
8. A representative of Machinery Division, Ministry of Agriculture.
9. Managing Director Central Warehousing Corporation or his nominee.
10. A representative of the Department of Cooperation.
11. A representative of the Planning Commission.
12. Shri M. J. Pradhan, New India Fisheries Ltd, Sasoon Dock, Colaba, *Bombay*-1. — To represent the depositors of Meat and Fish.
13. Shri V. H. Shah, Kaira Distt., Milk Producers' Union Ltd., *Anand* (Gujarat). — To represent the depositors of Milk and Milk Products.
14. Shri A. Shafee, M. P. Lok Sabha.
15. Shri D. Kamakshaiah, M.P. Lok Sabha.
16. Shri L. C. Stokes, 'Premal' P.O. Thanedhar, Simla Hills, Himachal Pradesh. — To represent the depositors of Fruits & Vegetables. (Excluding Potatoes).
17. Shri N. D. Sawant, Managing Director, Nasik District, Potato & Onion Growers, Co-operative Association, *Nasik*. — To represent the depositors of Potatoes.
18. Shri Ram D. Malani, President, All India Air Conditioning & Refrigeration Association, *New Delhi*. — To represent the manufacturers of refrigeration Equipment & Machinery.
19. Shri Veer pal Singh, Chairman, U.P. Cooperative Federation Ltd., 6-Capper Road, *Lucknow*. — To represent Co-operative Cold Storages.
20. Shri B. P. Tiwary, Kalyanpur Cold Storage, Kalyanpur, *Kanpur*, Uttar Pradesh. — To represent Cold Storage Licensees
21. Shri S. N. Kabra, President, Bihar Cold Storage Owners' Association, Shahgunj, *Patna*-6. — To represent Cold Storage Licensees.
22. Shri J. K. Maheshwari, President, West Bengal Cold Storages Owners' Association, P. B. No.2181, *Calcutta*-1. — Do.
23. Shri M. Mukundan Unni, Managing Director, The Kerala Fisheries Corporation, *Cochin*-11. *Member Secretary*. — Do.
24. Assistant Commissioner, (Refrigeration), Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture).

E. S. PARTHASARATHY, Dy. Secy.

(Department of Cooperation)

New Delhi, the 2nd March 1973

No. N-14015/2/70-*NWS*.—The Government of India have decided to reconstitute the National Advisory Board on Labour Cooperatives for a further period of two years. The composition of the reconstituted Board will be as follows :

Chairman

1. Union Minister of State for Agriculture, Incharge of co-operation.

Members

2. Minister for Cooperation, Government of Rajasthan.
3. Minister for Cooperation, Government of Orissa.
4. Shri N. K. Bhatt, Member, Rajya Sabha.
5. Shri Sultan Singh, Member, Rajya Sabha.
6. Shri Kartik Oraon Member, Lok Sabha.
7. Shri K. K. Shetty, Member, Lok Sabha.
8. Shri Hari Kishore Singh, Member, Lok Sabha
9. Shri R. M. Desai, Village Yadahalli, Taluka Birgi, District Bijapur.
10. Shri S. Sivasubramaniam (Ex. M.L.A.), Muthukamatchiammanthottam, Chidambaram South Arcot District (Tamil Nadu).
11. Dr. Shanti G. Patel, Sneh Sadan, B-11, Sitladevi Temple Road, Mahim, Bombay-16.
12. Shri Sesibhushana Rao, General Secretary, South Eastern Railwaymen's Congress, 6 Church Road, Howrah.
13. Smt. Shantaben B. Patel, Sardar Society, Visnagar, District Mehsana.
14. Shri Ram Nath Amalkar, Village Purey Satti Bahadur, Majrey Risalpur Lotanna, P.O. Lalgani, District Rai Bareilly, Uttar Pradesh.
15. Shri Nattha Singh M.L.A. Bayana, District Bharatpur, Rajasthan.
16. Smt. Leela Damodara Menon, "NAUKA", Azad Road, Cochin-17.
17. Joint Secretary, National Cooperative Union of India, 72, Jorbagh, New Delhi.
18. President, Punjab State Cooperative Labour and Construction Federation Ltd, House No. 8, Sector 21-A, Chandigarh.
19. President, Delhi State Cooperative Labour & Construction Societies Federation Ltd., 13/4429, Pahari Dhirai, Delhi-6.
20. President, Federation of Labour Cooperative Societies Ltd., 1-4-793, Musheerabad, Hyderabad-20 (A.P.)
21. Managing Director, Girijan Cooperative Corporation Ltd., Vishakhapatnam (Andhra Pradesh).
22. Managing Director Bihar State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd., Morabadi Road, Ranchi-8.
23. Registrar of Cooperative Societies, Gujarat.
24. Registrar of Cooperative Societies, Haryana.
25. Registrar of Cooperative Societies, Maharashtra.
26. Registrar of Cooperative Societies, Punjab.
27. Secretary, Department of Community Development and Cooperation, Ministry of Agriculture.
28. Additional Secretary Department of Community Development, Ministry of Agriculture.
29. Shri S. S. Puri, Joint Secretary, Planning Commission.
30. Chief Engineer (Vigilance), C.P.W.D., representing the Ministry of Works & Housing.
31. Chairman & Managing Director, National Projects Construction Corporation, E-9, Defence Colony, New Delhi, representing the Ministry of Irrigation and Power.
32. Deputy Director (Cooperation), Railway Board, New Delhi, representing the Ministry of Railways.
33. Joint Secretary, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation New Delhi.
34. Deputy Secretary, Department of Social Welfare.

35. Deputy Inspector General of Forests, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture.

Member-Secretary

36. Joint Secretary (C & M), Department of Cooperation.

2. The following will be the terms of reference of the Board :

(i) to review the progress of the working of Labour Cooperatives;

(ii) to suggest measures for enlisting participation of workers in the programme and promoting initiative and leadership among them;

(iii) to suggest arrangements for education and training of personnel required for the implementation of the programme;

(iv) to advise in the formulation of programmes relating to labour cooperatives;

(v) to advise about such other measures as are relevant to the terms of reference of the Board.

3. The Board may, if and when considered necessary, appoint Committees to deal with different aspects of the programme of labour cooperatives. Such Committees may coopt, for specific purposes, persons having expert knowledge of the related problems or having appropriate field experience.

4. A person who is appointed as a member of the Board in his *ex-officio* capacity or as the holder of a particular office, shall automatically cease to be a member of the Board if he ceases to be *ex-officio* holder of the office or appointment,, as the case may be. All casual vacancies shall be filled in consultation with the authority or body which nominated the member whose place falls vacant.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. A. QURAISHI, Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 14th March 1973

ADDENDUM

No. 22/23/71-SW-5.—In partial modification of this Department Resolution of even number, dated the 12th December, 1972 the following addition may be made :—

S. No. 12-A Minister incharge of prohibition, Meghalaya, Shillong.—*Member.*

ORDER

ORDERED that a copy of this Addendum be communicated to all the Members of the Committee; all the Ministries of the Government of India; the Cabinet Secretariat; the Prime Minister's Secretariat; the Lok Sabha Secretariat; the Rajya Secretariat; the Department of Parliamentary Affairs; the All India Prohibition Council and the Chief Secretaries of all the State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the Addendum be published in the Gazette of India for general information.

T. S. N. SWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 16th March 1973

No. 34(2)/71-DW.II.—The date for the submission of the report by the Committee of Experts, set up *vide* this Ministry's Resolution No. DW.II-34(2)/71, dated the 25th January, 1972, to carry out a scientific investigation into the causes leading to the large number of revisions in project estimates, as extended by this Ministry's Resolution No. DW.II-34(2)/71, dated 3rd August, 1972 up to 31st October, 1972, is further extended up to 31st March, 1973.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of Inida, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/ Departments of the Government of India, all State Governments/Administrations of Union Territories and the Chairman and Members of the Committee.

RESOLUTION

The 20th March 1973

No. 31(17)/72-DW.II.—The term of the Committee of Ministers set up *vide* this Ministry's Resolution No. DW. II-31(17)/72, dated the 4th August, 1972 to look into the reasons for under utilisation of irrigation potential and suggest remedial measures, is hereby extended upto the 3rd May, 1973.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Administrations of the Union Territories and the Chairman and Members of the Committee.

S. N. GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

RESOLUTION

New Delhi, the 15th March 1973

SUBJECT :—*Appointment of a Committee for Selection of Site for the Capital of Assam.*

No. K-14011/26/72-UD.II.—With the formation of the State of Meghalaya which includes within its boundaries the city of Shillong, it has become necessary to locate the capital of Assam in a place which is within the geographical jurisdiction of that State. Pending a decision on the question of location of a permanent capital for Assam, the State Government have decided to arrange temporary functioning of the capital from Dispur in close proximity to Gauhati without prejudice to the larger question of location of a permanent capital. Earlier, a Committee appointed by the Government of Assam in November, 1970, comprising 3 officials of State Government and 1 official of the Town & Country Planning Organisation, Government of India, had in its report, suggested 4 sites as suitable for the location of a permanent Capital which, in the order of preference are :—

(1) Chandrapur
(2) Sonaighuli
(3) Sonapur Digharu, and
(4) Silghat.

2. As the first three sites suggested are in Gauhati area, Government of Assam have decided that the choice of the final site will be between Chandrapur which is the first site out of the three in Gauhati area and Silghat. The final choice between these two should be on the basis of a comprehensive evaluation of the relative merits of the two sites to be done by an expert Committee to be appointed by the Government of India. Accordingly, the Government of Assam approached the Government of India in the Ministry of Works and Housing with a request to appoint such a Committee.

3. The Central Government, after due consideration of this request, have decided to appoint a Committee of experts comprising of the following members :—

Chairman

1. Shri B. D. Kambo, Chief Town Planner, Government of Rajasthan.

Members

2. Prof. Manzoor Alam, Head of the Department of Geography, Osmania University, Hyderabad.

3. Dr. P. B. Desai, Chief, Demographic Research Centre, Institute of Economic Growth, Delhi.

4. Dr. B. N. Sinha, Director, Engineering Geology Division (East), Eastern Region Geological Survey of India.

5. Shri B. B. Rau, Deputy Adviser (PHEE), Ministry of Works and Housing.

Dr. B. N. Viashwanath, Associate Town & Country Planner, Town and Country Planning Organisation, Ministry of Works and Housing will be the Secretary and Convenor of the Committee.

3. Dr. Viashwanath, Convenor, will be assisted by a suitable technical-*cum*-secretarial staff. The Committee will be free to initiate studies or assigning studies to specialist consultancy groups as may be necessary to facilitate the evaluation of the sites recommended for the location of the Capital.

4. The terms of reference of the said Committee shall be :—

(i) To assess the function and role of the Capital in the context of the present administrative and developmental needs of the State of Assam.

(ii) To evaluate in the light of these needs the merits and demerits of the Chandrapur and Silghat sites suggested.

(iii) To assess in particular the relative merits and demerits in terms of geological formation, physical features, transportation and communication linkages etc. of the two sites.

(iv) To assess the infra-structural requirements of water supply, waste disposal, power needs, social services like schools, colleges and hospitals, housing needs etc. and to quantify them.

(v) To furnish the estimated costs for the provision of requisite facilities for the efficient functioning of the capital in both the Centres and to suggest a suitable time phasing for the investments needed.

(vi) To suggest the organisational and legal frame for the implementation of the capital project at the site finally selected.

5. Honoraria payable to non-official members, cost of full-time staff and the expenditure on travel and other allowances for the members of the Committee shall be met in full by the Government of Assam. The non-official members, shall for the purpose of travel, will be treated as Class I officers.

6. The Committee will complete its work and submit the report within a period of six month, unless its term has been extended by Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India etc.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. PRABHAKAR RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973